

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & 05964- 225234

पत्रांक 2742 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 22 जनवरी, 2021।

सेवा में,

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,  
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय:- चण्डाक से धारी मोटर मार्ग प्रस्ताव सं. (FP/UK/ROAD/40805/2019)

संदर्भ:- आपका पत्रांक 2732 /12-1 दिनांक 12-01-2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में उक्त मोटर मार्ग में लगाई गयी आपत्ति का इस कार्यालय के पत्रांक 1481/12-1 दिनांक 14-10-2020 द्वारा पूर्व में ही निराकरण कर दिया गया था। उक्त मोटर मार्ग में अत्यधिक बांज के वृक्ष सं० 51 प्रभावित होने की स्थिति में स्वयं वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा द्वारा अधोहस्ताक्षरी के साथ दिनांक 08-10-2020 को प्रस्तावित स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया एवं स्थलीय निरीक्षण उपरान्त यह पाया गया कि चयनित समरेखण से इतर कोई भी ऐसा वैकल्पिक समरेखण संभव नहीं है, जिसमें चयनित समरेखण से न्यून बांज के वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। इस स्थिति में पूर्व में चयनित समरेखण में ही वन भूमि हस्तान्तरण की प्रक्रिया पूर्ण की जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा किये गये स्थलीय निरीक्षण आख्या संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

(संलग्न:-स्थलीय निरीक्षण आख्या)

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

# निरीक्षण आख्या


प्रस्ताव संख्या 40805/2019


जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार का नव निर्माण (ल० 5.000 किमी०) का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 08.10.2020 को अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० पिथौरागढ़ एवं प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया।

जनपद पिथौरागढ़ के पिथौरागढ़ वनप्रभाग अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार का नव निर्माण में कुल 51 बॉज वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, यह क्षेत्र बॉज के अतिरिक्त चीड़ प्रजाति के वृक्षों से आच्छादित है। कुल प्रभावित क्षेत्रफल में 0.29 हे० आरक्षित वन क्षेत्र, 0.63 हे० सिविल व 0.99 हे० वन पंचायत भूमि प्रभावित हो रही है प्रस्तावित समरेखण के अतिरिक्त कोई ऐसा वैकल्पिक समरेखण उपलब्ध नहीं है, जिसमें वर्तमान में प्रभावित हो रहे बॉज वृक्षों से कम वृक्ष प्रभावित होते हो। वर्तमान समरेखण में प्रभावित होने वाले बॉज वृक्षों की संख्या न्यूनतम है। वह प्रभावित बॉज वृक्षों के पातन के बगैर मोटर मार्ग का निर्माण सम्भव नहीं है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम धारी व डुंगरी के 82 परिवारों की 341 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

इस मोटर मार्ग से ग्राम धारी व डुंगरी के 82 परिवारों की 341 लोगों को लाभ की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए प्रभावित वन भूमि को जनहित में हस्तान्तरण करने की संस्तुति की जाती है।

अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०  
पिथौरागढ़

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग  
पिथौरागढ़

  
(प्रवीण कुमार)  
वन संरक्षक  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बाँज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 8-10-2020 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से बाँज प्रजाति के निम्न वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं :-

कस	भूमि की श्रेणी	वनब्लाक / कम्पार्टमेन्ट / खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम									योग
					0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70 से अधिक	
1.	आरक्षित वन भूमि		बाँज		-	-	03	-	-	-	-	-	03
2.	सिविल सोयम		बाँज	Quercus leucotrichophora	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	वन पंचायत		बाँज		-	10	27	11	-	-	-	-	48
4.	संरक्षित वन		बाँज		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग :- वन भूमि				-	10	30	11	-	-	-	-	51
5.	नाप भूमि		बाँज		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग :-				-	10	30	11	-	-	-	-	51

उपरोक्तानुसार गणना किये गये बाँज वृक्षों का पातन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है।

ह0 / -  
वन संरक्षक,